

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22-04-2026	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्रीमती नीतू शेखावत, उप-राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;">— आदेश</p> <p>1 यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 18-11-2005 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।</p> <p>2 रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार मलारनाडूंगर ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी ख० नं० 734 रकबा 4-18 बीघा, ग्राम शेषा तहसील मलारनाडूंगर की जमाबंदी सम्वत 2012-2015 में किस्म "गैर मु० तलाई" राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु दर्ज रही है। उक्त भूमि में से रकबा 8 बिस्वा दिनांक 05.06.1973 को आवंटन अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के नाम आवंटित कर दी गई। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में आने के कारण आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। अतः विवादित आराजी की अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त करने हेतु रेफरेंस राजस्व मण्डल में प्रेषित किया जावे। तहसीलदार की रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 18-11-2005 से अभिशंषा करते हुये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज को निरस्त करने व हाल खसरा संख्या 734 रकबा 8 बिस्वा को पुनः गै०मु० तलाई के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है।</p> <p>3 विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>तलाई दर्ज है। जिसे नियम विरुद्ध अप्रार्थीगण को आवंटित कर उनके नाम दर्ज कर दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गैर मु. तलाई किस्म की सार्वजनिक उपयोगार्थ भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के प्रावधानों के प्रभाव से वर्जित श्रेणी की भूमि है। जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी अब्दुल रहमान के प्रकरण में इस प्रकार के आवंटनों को नियम विरुद्ध मानते हुये नदी- नालों, तलाई व पानी के बहाव क्षेत्रों को मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिये हैं। उक्त प्रकार की भूमि में किये गये समस्त आवंटन/नियमन तथा उसके आधार पर तस्दीक नामांतरण प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में "गैर मु0 तलाई" दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।</p> <p>4 विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>5 पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी ख० नं० 734 रकबा 4.18 बीघा, ग्राम शेषा तहसील मलारनाडुंगर की जमाबंदी सम्वत 2012-2015 में किस्म "गैर मु0 तलाई" राजस्व रिकोर्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु दर्ज रही है। उक्त भूमि में से रकबा 8 बिस्वा दिनांक 05.06.1973 को आवंटन अधिकारी द्वारा अवैधानिक रूप से अप्रार्थी को आवंटित कर दी गई। प्रस्तुत अभिलेख से यह साबित है कि पूर्व राजस्व रिकोर्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन तलाई दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या साबित है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज होने से पहले राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन तलाई अंकित थीं। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार "गैर मुमकिन तलाई" किस्म की भूमि ना तो आवंटन या नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं।</p> <p>6 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार है:- "4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-</p> <p>(ii) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"</p> <p>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार है:-</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-</p> <p>(i) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;</p> <p>7 उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नदी/नाला/तालाब (river)/अंगोर की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 20 द्वारा नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन योग्य नहीं माना है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी नाला, नला, नदी, नाड़ी, तालाब, अंगोर आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधि विरुद्ध अप्रार्थीगण को आवंटन कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व इंड्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है।</p> <p>8 परिणामतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाता है और आराजी नम्बर 734 रकबा 08 बिस्वा भूमि के अप्रार्थी के पक्ष में किये गये राजस्व इंड्राज निरस्त किये जाकर वादग्रस्त भूमि पूर्वानुसार राजकीय भूमि किस्म "गै0मु0 तलाई" दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं और संबधित राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये समस्त इंड्राजात विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित शीघ्र लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: right;">(मदनलाल नेहरा) सदस्य</p>	